न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 148/2015

रामप्यारी पत्नि स्व0 श्री धनराज जाति मीणा निवासी बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बारां ....वादनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. राधाकिशन पुत्र हजारा
2. देवीशंकर पुत्र हजारा
3. निर्मला पत्नि देवीशंकर
4. ममता पत्नि राधाकिशन

} जाति मीणा निवासीगण बालापुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा
वकी प्रतिवादीगण : श्री मनोज कुमार गालव
दायरा दिनांक: 03.08.2015 निर्णय दिनांक : 31.08.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त निर्णय इस प्रकार है कि वादनी के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 741/864 रकबा 1.35 है0, खसरा नं0 790 रकबा 1.45 है0 वाके माल बालापुरा तहसील मांगरोल में दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी 1 ता 4 का वादनी की खाता आराजी से दूर दूर तक कोई संबंन्ध नही है लेकिन प्रतिवादी कम 1 ता 4 रिस्ते में वादनी के देवर व देवरानी होते है जो वादनी के पति की मृत्यु बाद से उसकी सम्पत्ति को हडपने के लिए निरन्तर झगडे फसाद करते आ रहे है। अतः सादर डिक्री बहक वादनी व विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 ता 4 इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी कम 1 ता 4 वादनी की खाता आराजी खसरा नं0 741/864 रकबा 1.35 है0, खसरा नं0 790 रकबा 1.45 है0 ग्राम बालापुरा पर किसी प्रकार का अवैध अतिचार ना करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 188 के तहत प्रकरण दिनांक 03.08.2015 दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गालव ने दिनांक 29.10.2015 को वकालत नामा प्रस्तुत किया परन्तु कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण कि ओर से जवाब दावा हेतु उचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब अप्राप्त होने से न्याय हित में दिनांक 20.08.2018 जवाब अवसर समाप्त किया जाकर दिनांक 31.08.2018 को बहस सुनी

त्रावली में एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता श्री कर्मवीर शर्मा ने बहस में उन्ही तथ्यो कथन किया है जिसका उनके द्वारा वाद पत्र में अंकन किया गया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम बालापुरा की कृषि भूमि खसरा नं0 741/864 रकबा 1.35 है0, खसरा नं0 790 रकबा 1.45 है0 पर वादनी कृषि कर अपने परिवार का पालना पोषण कर रही है एवं उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण कम 1 ता 4 का किसी प्रकार से कोई हक नही बनता है चुकि वादनी एक विधवा महिला है अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादनी अन्तर्गत धारा 188 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी कम 1 ता 4 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वादनी की कब्जे काश्त की आराजी ग्राम बालापुरा की कृषि भूमि खसरा नं0 741/864 रकबा 1.35 है0, खसरा नं0 790 रकबा 1.45 है0 में वादनी को काश्त करने में किसी प्रकार की मदालखत व दलखअंदाजी ना तो स्वयं करने और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादनी को उक्त आराजी में शांतीपूर्वक काश्त करने देवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन